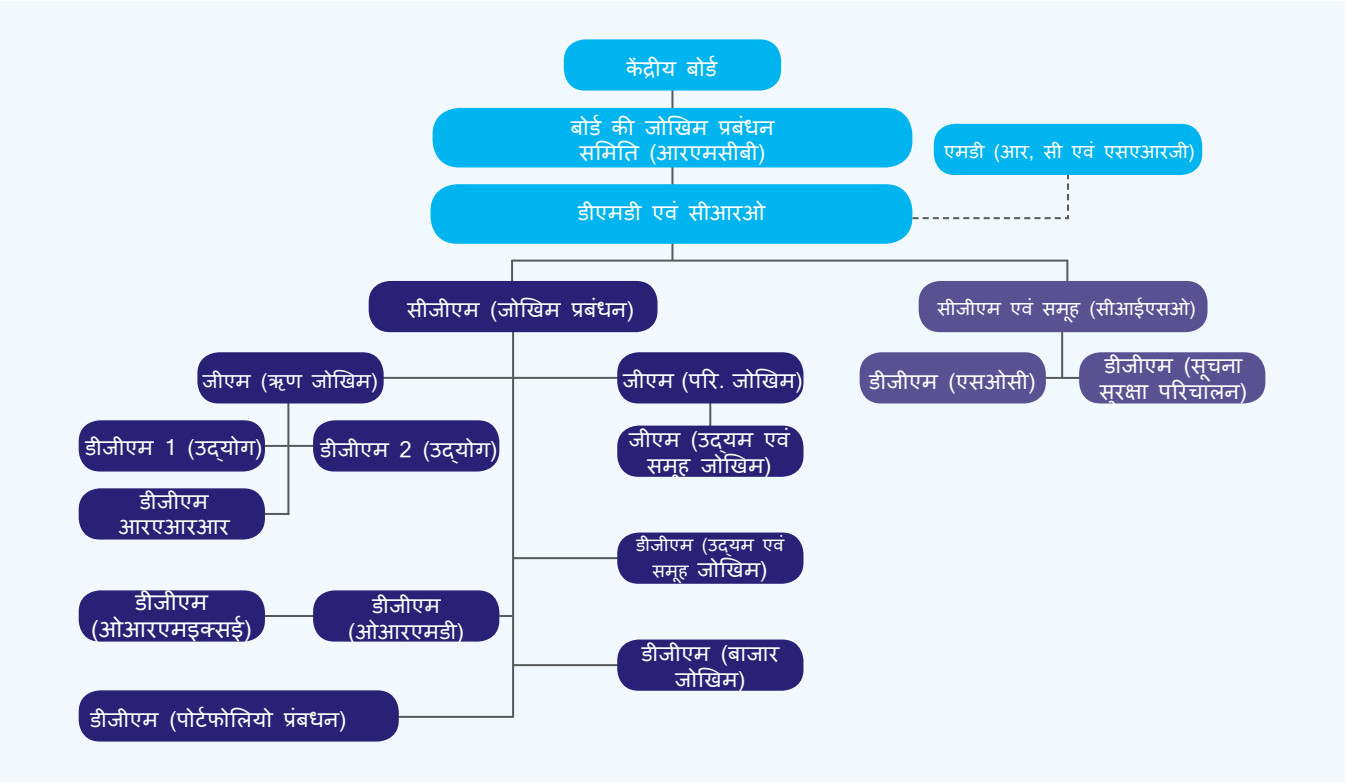

5. समूह जोखिम कम करने के उपाय

समूह जोखिम प्रबंधन का लक्ष्य समूह इकाइयों में मानकीकृत जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाएं लागू करना है। समूह जोखिम प्रबंधन, समूह तरलता तथा आकस्मिक निधियन योजना (सीएफपी), जोखिम से दूरी बनाए रखने, अंतरा समूह लेनदेन तथा जोखिमों के लिए आवश्यकताओं पर नीतियां लागू हैं। समेकित विवेकाधीन जोखिमों तथा समूह जोखिम तत्वों की नियमित रूप से निगरानी की जाती है।

गैर- बैंकिंग इकाइयों सहित सभी सामूहिक इकाइयां, जहां एसबीआई के पास 20% से अधिक स्टेक तथा प्रबंधन नियंत्रण है, आईसीएएपी अभ्यास सुनिश्चित करती हैं तथा समानता सुनिश्चित करने के लिए समूह आईसीएएपी नीति लागू है।

6. बासेल कार्यान्वयन

बासेल III पूंजी विनियमनों पर आरबीआई दिशानिर्देशों को कार्यान्वित किया गया है तथा आपका बैंक वर्तमान आवश्यकताओं के अनुसार पर्याप्त रूप से पूंजीकृत है, जिसमें पूंजी संरक्षण बफर (सीसीबी) के आवश्यक स्तर को बनाए रखना भी शामिल है। विनियामक द्वारा आपके बैंक को डी-एसआईबी के रूप में पहचाना गया है तथा तदनुसार बैंक को 1 अप्रैल 2019 से आरडब्ल्यूए के 0.60% का अतिरिक्त कॉमन ईक्विटी टियर 1 (सीईटी 1) रखने की आवश्यकता है।

ख. आंतरिक नियंत्रण

आपके बैंक में आंतरिक लेखापरीक्षा (आईए) एक स्वतंत्र कार्यकलाप है। इसे बैंक में पर्याप्त मान्यता, महत्त्व और अधिकार प्राप्त है। उप प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में गठित आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति के मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण में काम करता है। आपके बैंक का आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग, जोखिम प्रबंधन और अनुपालन विभागों के समन्वय से कार्य करता है, ताकि प्रभावी नियंत्रण का आकलन, नियंत्रण के साथ अनुपालन का आकलन और आंतरिक प्रक्रियाओं तथा कार्यविधियों का पालन किया जा सके। आपके बैंक का आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग जोखिम आधारित पर्यवेक्षण से संबंधित विनियामक दिशानिर्देशों के अनुरूप बैंक की सभी परिचालन इकाइयों की व्यापक जोखिम आधारित लेखापरीक्षा की देखरेख करता है ।

आपके बैंक में तेजी से हो रहे डिजिटलीकरण को देखते हुए लेखापरीक्षा विभाग ने सिस्टम संचालित एवं विश्लेषण आधारित लेखापरीक्षा के माध्यम से बेहतर दक्षता और प्रभावशीलता प्रदान करने के लिए तकनीकी दखल की शुरुआत की है ।

कुछ मुख्य पहल निम्नवत हैं :

- नियंत्रण सहित अनुपालन का शुरुआती स्तर पर आकलन करने के लिए वेब आधारित, ऑनलाइन जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा (आर. एफ . आई . ए .) करना।
- बड़े डाटा के रिमोट आकलन के माध्यम से विश्लेषण आधारित, अनुपालन योग्य नियंत्रणों का आकलन करना।
- लेन-देन पर सिस्टम जनित विश्लेषण आधारित ऑफ साइट निगरानी रखना।
- व्यवसाय यूनिटों की संगामी लेखापरीक्षा करना, जिससे अनुपालनों की अद्यतन या वास्तविकता के नजदीक संवीक्षा सुनिश्चित की जा सके।
- संस्वीकृतियों के तुरंत बाद समीक्षा 1 करोड़ तथा उससे अधिक के ऋणों की गुणवत्ता का समय रहते आकलन किया जा सके।
- शाखा द्वारा ऑनलाइन स्व-लेखा परीक्षा करना, जिसमें शाखाओं द्वारा स्व-मूल्यांकन तथा नियंत्रकों द्वारा पुनरीक्षण किया जा सके ।

जोखिम केंद्रित आंतरिक लेखापरीक्षा के भाग के रूप में आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग अलग-अलग प्रकार की लेखा परीक्षा करता है जिससे ऋण लेखापरीक्षा सूचना प्रणाली लेखापरीक्षा, साइबर सुरक्षा लेखापरीक्षा, होम ऑफिस लेखापरीक्षा (विदेश स्थित कार्यालयों की लेखापरीक्षा, संगामी लेखापरीक्षा), फेमा लेखापरीक्षा ,बैंक के आउटसोर्स्ड कार्यकलाप की लेखापरीक्षा, व्यय लेखापरीक्षा तथा अनुपालन लेखापरीक्षा।

आपके बैंक ने सकल जोखिम आकलन प्रक्रिया को सुदृढ़ करने के लिए आई एडी में एक नए विंग को स्थापित किया है।

इसके अतिरिक्त, नियंत्रको को लेखापरीक्षा समिति के निर्देशानुसार यह बिजनेस वर्टिकल के सार्वजनिक एंवं थीमटिक प्रभावकरिता की जाचे क लिए प्रबंधन लेखा परीक्षा भी करता है ।

शाखा की लेखापरीक्षा

लेखापरीक्षा विभाग आर. एफ. आई. ए. के माध्यम से लेखा-परीक्षित यूनिटों के संपूर्ण परिचालनों का निरीक्षण करता है। आरबीआई के दिशानिर्देशानुसार जोखिम आधारित पर्यवेक्षण के लिए यह आवश्यक है। घरेलू शाखाओं को उनके व्यवसाय प्रोफाइल तथा अग्रिमों एक्स्पोज़र के आधार पर चार समूहों समूह । विशेष,I,II और III में बांटा गया है। आपके बैंक ने लेखापरीक्षा के लिए शाखाओं का चयन करने के लिए सिस्टम आधारित प्रक्रिया आरंभ की है जिसके तहत विश्लेषणात्मक एल्गोरिदम लगाकर अलग तरह से व्यवहार कर रही यूनिटों की पहचान की जाती है। इससे बैंक को ऐसी शाखाओं में समस्या के कारणों की पहचान कर सुधार की कार्रवाई करने के लिए प्राथमिकता के आधार पर लेखा परीक्षा करने में मदद मिलती है ।

वित्त वर्ष 2020- 21 के दौरान आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग ने घरेलू शाखाओं की 12359 इकाइयों एवं केन्द्रीय प्रसंस्करण केंद्रों (सीपीसी) की लेखापरीक्षा की है। साथ ही ट्रिगर आधारित लेखापरीक्षा (टीबीए) के अंतर्गत निर्धारित 3338 शाखाओं का साक्ष्य आधारित अनुपालन परीक्षण (ईबीसीटी) को पूरा कर लिया है।

ऋण लेखापरीक्षा

ऋण लेखापरीक्षा जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा का अभिन्न अंग है जिसका उद्देश्य निहित व्यवसाय जोखिम (ऋण जोखिम) की पहचान करना,निहित जोखिमों (नियंत्रण जोखिम) की निगरानी के लिए नियंत्रण प्रणाली की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना है । यह उच्च मूल्य पोर्टफोलियो में ऋण जोखिम को नियंत्रित करने के लिए उपाय भी सुझा सकती है।

बैंक ने जोखिम आधारित ऋण लेखा परीक्षा (आरएफसीए) बनाया है जो ऋण संविभाग(पोर्टफोलियो) की गुणवत्ता के आर्थिक मूल्यांकन का एक प्रभावी उपकरण है तथा ऋण प्रबंधन में गुणात्मक सुधार, ऋण रेटिंग प्रक्रिया की अखंडता को बनाए रखने,पोर्ट्फोलियो गुणवत्ता,सलाना रु 20 करोड़ से अधिक एक्सपोजर वाले व्यक्तिगत बड़े वाणिज्यिक ऋणों की गहन समीक्षा कर प्रस्तुत करता है।

संस्वीकृति के तुरंत बाद समीक्षा

संस्वीकृति के तुरंत बाद समीक्षा (ईआरएस) के तहत रु 1 करोड़ से अधिक के ऋण वाले सभी पात्र संस्वीकृत प्रस्तावों की समीक्षा की जाती है । ईआरएस संस्वीकृत प्रस्तावों के प्रारंभिक चरण में ही महत्वपूर्ण जोखिमों का पता लगा लेता है और इसे कम करने के लिए इस तरह से जोखिमों से व्यवसाय इकाइयों को अवगत कराता है । ईआरएस सोर्सिंग की गुणवत्ता,संस्वीकृति- पूर्व और संस्वीकृति प्रक्रिया को बेहतर बनाने में सहायता करता है। हाल में ईआरएस गतिविधियां केंद्रीकृत की गई हैं तथा ऋण प्रस्तावों की समीक्षा के लिए सेवानिवृत्त अधिकारियों की जगह बैंक के अधिकारियों/ सनदी लेखाकारों की सेवाएं ली जा रही हैं । ईआरएस की संपूर्ण प्रक्रिया सिस्टम संचालित है और लोन लाइफ साइकिल प्रबंधन समाधान (एलएलएम एस) के माध्यम से कार्य करती है ।

फेमा लेखापरीक्षा

विदेशी मुद्रा लेनदेन करने के लिए प्राधिकृत (प्राधिकृत डीलर) शाखाएं, जिसमें व्यापार वित्त केंद्रीकृत प्रसंस्करण कक्ष टीएफसीपीसी शामिल है,की फेमा लेखा परीक्षा की जाती है । सीएजी/ सीसीजी/ टीएफसीपीसी में सभी शाखाएं एवं "ए"तथा "बी" श्रेणी की शाखाएं जो टीएफसीपीसी से जुड़ी नहीं हैं, उनकी लेखा परीक्षा वार्षिक आधार पर की जाती है। टीएफसीपीसी से जुड़ी 20% शाखाओं की भी लेखा परीक्षा जोखिम आकलन/ जुड़ी शाखाओं के विदेशी परिचालनों की मात्रा के आधार पर टीएफसीपीसी से जुड़ी शाखाओं के साथ की जाती है। वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान 479 ऐसी शाखाओं/ इकाइयों की फेमा लेखा परीक्षा की गई ।

सूचना प्रणाली और साइबर सुरक्षा लेखापरीक्षा

आर.एफ.आई.ए. के भाग के रूप में भारतीय स्टेट बैंक की सभी शाखाओं में आईटी इन संबंध जोखिमों का आकलन करने के लिए सूचना प्रणाली लेखा परीक्षा आईएस ऑडिट की जाती है। केंद्रीकृत आईटी संस्थानों की आईएस लेखा परीक्षा योग्यता प्राप्त अधिकारियों की टीम द्वारा की जाती है जिसमें सीधी भर्ती से नियुक्त आईएस लेखापरीक्षक सम्मिलित होते हैं। 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 की अवधि के दौरान 84 केंद्रीकृत आईटी संस्थाओं की सूचना प्रणाली लेखा परीक्षा की गई । इसके अतिरिक्त आपके बैंक की साइबर सुरक्षा नीति के अनुसार प्रतिवर्ष आपके बैंक की साइबर सुरक्षा लेखापरीक्षा भी की जाती है।आईएस लेखापरीक्षा आईटी- आउटसोर्स्ड गतिविधियों की भी लेखा परीक्षा करता है ।

विदेशी कार्यालयों की लेखापरीक्षा

विदेशी कार्यालयों की लेखापरीक्षा घरेलू कार्यालय लेखापरीक्षा के अंतर्गत की जाती है। इसके अतिरिक्त आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग के अंतर्गत संबंधित केंद्रों पर स्थानीय स्तर पर आंतरिक लेखापरीक्षा की जाती है। कोविड-19 महामारी के कारण लगाए गए प्रतिबंधों के चलते वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान 17 विदेशी कार्यालयों की घरेलू कार्यालय लेखापरीक्षा, एक प्रतिनिधि कार्यालय तथा एक सहयोगी कार्यालय की प्रबंधन लेखापरीक्षा बाकी है जिसे वित्त वर्ष 2021-22 के लिए स्थगित कर दिया गया है तथापि कार्यालयों की अनुमोदित आवधिकता के अनुसार आंतरिक लेखापरीक्षा की गई है ।

संगामी लेखा परीक्षा प्रणाली (सीएएस)

आपका बैंक संगामी लेखापरीक्षा प्रणाली, विनियामक प्राधिकारी द्वारा निर्धारित ऋण और अन्य जोखिम को कवर करता है। सीएएस को और मजबूत बनाने के लिए जोखिम मैट्रिक्स के अनुसार वर्गीकृत किए गए सभी अत्यंत उच्च जोखिम, बहुत उच्च जोखिम/ उच्च जोखिम वाली शाखाएं/ इकाइयों को सीएएस के तहत कवर किया गया है। सभी ऋण केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र में ग्राहक संबंध के प्रारंभिक चरण में ही जोखिम अंकन की कमियों की पहचान करने हेतु संगामी लेखापरीक्षक की तैनाती की गई है। आपके बैंक में सेवानिवृत्त अनुभवी बैंक अधिकारियों और नियमित अधिकारियों के अतिरिक्त चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म भी लेखापरीक्षा कर रही हैं ।

ऑफसाइट लेनदेन निगरानी प्रणाली (ओटीएमएस)

ऑफसाइट लेनदेन की निगरानी करने के उद्देश्य से परिस्थितियों के अनुसार अलर्ट जारी किए जाते हैं और सुधारात्मक कार्रवाई हेतु व्यवसाय इकाइयों को इनसे अवगत कराया जाता है। वर्तमान में, सिस्टम में 54 प्रकार की परिस्थितियाँ सन्निहित हैं, जिसके विरुद्ध नियमित अंतराल पर लेनदेन की जांच की जाती है और जहां संबंधित अनुपालन की पुष्टि हेतु सिस्टम द्वारा अनियमित लेनदेन की पहचान की जाती है। इस परिस्थितियों की समय-समय पर समीक्षा की जाती है और जरूरत एवं कतिपय ट्रिगर्स के आधार पर इनका विस्तार किया जाता है ।

विधिक लेखापरीक्षा

आपके बैंक में विधिक लेखा परीक्षा के अंतर्गत ₹ 5 करोड़ और उससे अधिक की राशि के ऋण और प्रतिभूति संबंधित दस्तावेजों को कवर किया जाता है। विधिक लेखापरीक्षा अतिरिक्त नियंत्रण के लिए की जाती है, जो आंतरिक लेखापरीक्षा की आंतरिक टीम द्वारा की गई संवीक्षा के साथ-साथ अधिवक्ताओं के पैनल द्वारा भी की जाती है,ताकि बैंक के पक्ष में दस्तावेजों या प्रतिभूति सृजन में कोई अनियमितता न हो । मार्च 2021 की समाप्ति तक 13535 खाताओं की विधिक लेखापरीक्षा की गई है ।

आउटसाइड कार्यकलाप की लेखापरीक्षा (आईटी के अलावे)

आपका बैंक इस बात की जरूरत समझता है कि बैंक के लिए कार्यरत सेवाप्रदाता बैंक की तरह विधिक और विनियामक अपेक्षाओं का अनुपालन करें। यही कारण है कि आउटसोर्सड कार्यकलापों का नियमित अंतराल पर लेखापरीक्षा की जाती है, ताकि यह सुनिश्चित हो कि सही प्रणालियों और कार्यविधियों का अनुपालन किया जा रहा है तथा बैंक के लिए किसी प्रकार की विधिक, वित्तीय और एवं साख संबंधी जोखिम न रहे ।

आपके बैंक में आउटसोर्स्ड कार्यकलापों की लेखापरीक्षा के तहत एटीएम सेवा प्रदान करने वाले वेंडरों (आईटी के अलावे),कॉरपोरेट व्यवसाय प्रतिनिधि (बीसी),ग्राहक सेवा केंद्र (सीएससी) वसूली और समाधान एजेंटों, नकदी प्रबंधन सेवा, चेक बुक प्रिंटिंग,समपार्श्विक प्रबंधन,ऋण प्रस्तावों के विपणन, रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट,दस्तावेज़ पुरालेख केंद्र, नकद दक्षता परियोजना शामिल हैं ।

वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान आपके बैंक ने वित्तीय समावेशन योजना के तहत शामिल 60776 ग्राहक सेवा केंद्रों में से 30334 ग्राहक सेवा केंद्रों की लेखापरीक्षा की है। अन्य बाहरी एजेंसियों को सौंपे गए कार्यकलाप के संबंध में योजनानुसार 732 वेंडरों की लेखापरीक्षा की है।

कॉरपोरेट केंद्र के विभागों का आरएफआईए

यह विभाग सकल जोखिम के मूल्यांकन एवं वृहद स्तर पर जोखिमों की निगरानी के लिए बनाया गया है। जोखिम मूल्यांकन, बुनियादी जोखिम, नियंत्रण जोखिम, शेष जोखिमों तथा संचालन एवं निगरानी के छूटे अंशों को कवर करता है। यह विनियामक एवं सांविधिक आवश्यकताओं के अनुपालन की स्थिति का भी आकलन करता है। इस प्रकार यह बैंक में जोखिम की दिशा और गति पर वरिष्ठ प्रबंधन एवं बोर्ड को उचित एवं उपयुक्त आश्वासन प्रदान करता है।

प्रबंधन लेखापरीक्षा

प्रबंधन लेखापरीक्षा में कॉरपोरेट केंद्र की संस्थापनाएं/ मंडलों के स्थानीय प्रधान कार्यालय और बैंक द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) शामिल हैं। इनकी लेखा परीक्षा में कार्यनीति, प्रक्रिया और जोखिम प्रबंधन कार्यप्रणालियों की समीक्षा की जाती है ।

ग. अनुपालन जोखिम प्रबंधन

आपका बैंक नियामक और सांविधिक अनुपालनों को पूरा करने के लिए अत्यंत प्राथमिकता देता है। इस दिशा में, हमने ट्रैकिंग क्षेत्रों के लिए एक तेज ध्यान सुनिश्चित करने के लिए अपने अनुपालन वास्तुकला को पूरी तरह से नया रूप दिया है अनुपालन जोखिमों को जन्म देना और त्वरित उपचारात्मक कदम उठाने के लिए।

बैंक के लिए अपने अनुपालन जोखिम को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए एक गहरी जड़ें अनुपालन संस्कृति महत्वपूर्ण है और इसे पूरे संगठन में संचार और बातचीत के विभिन्न रूपों के माध्यम से मजबूत किया जा रहा है ।

किसी भी अनुपालन जोखिम को दूर करने के लिए, सभी उत्पादों, प्रक्रिया, नीतियों को चालू करने से पहले नियामक के नजरिए से संचालित किया जाता है। एक अनुपालन जोखिम प्रबंधन समिति, जिसमें व्यापार वर्टिकल और समर्थन कार्यों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं, अनुपालन से संबंधित सभी मुद्दों पर निगरानी रखता है। समिति नियमित रूप से बैठक करती है और नियामक अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सभी आंतरिक हितधारकों को आवश्यक मार्गदर्शन देती है।

भारतीय रिजर्व बैंक के विनियमों का अनुपालन परीक्षण और अंतरालों का उपचार, यदि कोई हो, नियमित रूप से किया जाता है। परीक्षण ब्रह्मांड का विस्तार किया जा रहा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी विनियामक आवश्यकताओं का अनुपालन करने के लिए नियंत्रण तंत्र मौजूद हैं ।

घ. केवाईसी/एएमएल-सीएफटी उपाय:

बैंक के पास मौजूदा आरबीआई मास्टर निर्देश के अनुरूप केवाईसी नीति को मंजूरी दी गई है। इस नीति में केवाईसी, एएमएल और सीएफटी मुद्दों के प्रति बैंक के दृष्टिकोण को शामिल किया गया है । बैंक ने समय-समय पर संशोधित धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 और धन-शोधन निवारण (अभिलेखों का रखरखाव) नियम, 2005 के प्रावधानों को लागू करने के लिए कदम उठाए हैं।

इस नीति में ग्राहक स्वीकृति, जोखिम प्रबंधन, ग्राहक पहचान और लेनदेन की निगरानी के लिए बैंकों का ढांचा शामिल है। बैंक ने केवाईसी अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए मैनुअल और प्रणाली सक्षम पद्धति के संयोजन वाली एक मजबूत प्रणाली लगाना शुरू किया है। कोई खाता नहीं खोला जाता है, गुमनाम या फर्जी/ बेनामी नाम में या जहां शाखा/व्यावसायिक इकाई उचित सीडीडी उपायों को लागू करने में असमर्थ है । बैंक आभासी मुद्राओं के लेनदेन में लेनदेन या निपटाने के लिए खाते नहीं खोलता है। हालांकि, नीति को लागू करते समय, बैंक इस बात का ध्यान रखता है कि इसके परिणामस्वरूप उन लोगों को बैंकिंग सेवाओं से वंचित न किया जाए जो आर्थिक या सामाजिक रूप से वंचित हैं ।

संपर्क रहित ग्राहक ऑनबोर्डिंग की सुविधा के लिए, वीडियो ग्राहक पहचान प्रक्रिया (V-CIP) को रोल किया गया है राष्ट्रीय स्तर पर बाहर । इस प्रक्रिया का उपयोग करके, नए ग्राहक किसी भी शाखा का दौरा किए बिना पूरी तरह से कार्यात्मक खाते खोल सकते हैं।

बैंक के एएमएल सीएफटी विभाग लेनदेन निगरानी के माध्यम से चल रहे उचित परिश्रम का ख्याल रखता है। बैंक जोखिम आधारित दृष्टिकोण का पालन करता है जिसमें ग्राहकों को मूल्यांकन और जोखिम धारणा के आधार पर कम, मध्यम और उच्च जोखिम के रूप में वर्गीकृत किया जाता है । बैंक वित्तीय खुफिया इकाई-इंडिया (एफआईयू-आईएनडी) को अनिवार्य रिपोर्ट दाखिल करने का ध्यान रखता है। खातों के मामलों में प्राथमिकता के आधार पर उपयुक्त रिपोर्ट भी दर्ज की जाती है, जिसमें आतंकवादी संबंध होने का संदेह होता है ।

कर्मचारियों में अधिक जागरूकता लाने के लिए कई पहल की जा रही हैं । बैंक द्वारा चल रहे कर्मचारी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं ताकि कर्मचारियों के सदस्यों को एएमएल/सीएफटी नीति में पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित किया जा सके । एएमएल-सीएफटी दिवस प्रत्येक वर्ष 2 नवंबर को मनाया जाता है जिसमें उस दिन सभी शाखाओं/प्रसंस्करण केंद्रों और प्रशासनिक कार्यालयों में प्रतिज्ञा ली जाती है । इसी तरह 1 अगस्त को केवाईसी कंप्लायंस एंड फ्रॉड प्रिवेंशन डे के रूप में मनाया जाता है।

ङ. बीमा

आपका बैंक बीमा पॉलिसियों की खरीद कर रहा है, जिसमें आपके बैंक की संपत्ति और अन्य जोखिम शामिल हैं। बीमा कवरेज में नकदी और क़ीमती सामान, बैंक की संपत्तियां, डेबिट कार्ड/ इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के तहत धोखाधड़ी लेनदेन और साइबर जोखिम शामिल हैं ।

च. परिसर

आईजीबीसी ग्रीन बिल्डिंग पुरस्कार:

1. नरीमन प्वाइंट स्थित हमारे प्रतिष्ठित स्टेट बैंक भवन भवन को आईजीबीसी परफॉर्मेंस चैलेंज 2020 में एक्सीलेंस अवार्ड मिला है।

2. इसके अलावा स्टेट बैंक भवन की आईजीबीसी रेटिंग को 2017 में प्राप्त मौजूदा सिल्वर रेटिंग से गोल्ड में अपग्रेड किया गया है। जल दक्षता, ऊर्जा कुशल रोशनी, ऊर्जा कुशल सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, कूलिंग टॉवर ऑफ एयर कंडीशनिंग प्लांट और ऑर्गेनिक फार्मिंग आदि जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय सुधार ने हमें इस रेटिंग को हासिल करने में मदद की है । हमने अपने "डुनेडिन बंगले" के लिए आईजीबीसी से "प्लेटिनम" प्रमाणन भी प्राप्त किया है। वर्तमान में एसबीआई के पास कुल आठ आईजीबीसी रेटेड ग्रीन बिल्डिंग हैं।